# टी0एस0नेगी राजकीय महाविद्यालय रिकांगपीओ, जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 04/2011 से 03/2015

## भाग—एक

**1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :—**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्रवाई का सत्यापन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः—

**(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 08/1994 से 03/2004**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 4(क) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 4(ख) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 16 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 17 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 18 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 19 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 23 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 26(क) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 26(ख) | अनिर्णीत |

**(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2011**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 3 | निर्णीत | (अंकेक्षण शुल्क की ₹49000 की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 468297 दिनाँक 26.08.11 के माध्यम से जमा करवा दी गई है, अभिलेख की पुष्टि के उपरान्त) |
| 2 | पैरा 4 | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 4 में ) |
| 3 | पैरा 5 | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा 6 | निर्णीत | (₹3320 की राशि की वसूली दिनाँक 01.06.2015 को |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | करने एवं सम्बन्धित रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 23 पर लेखाकिंत करने के उपरान्त) |
| 5 | पैरा 7 | निर्णीत | (₹5541 की राशि को दिनाँक 01.06.2015 को House Examination Fund से Absence fine Fund में हस्तांतरित करने के उपरान्त) |
| 6 | पैरा 8 (क) | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा 8 (ख) | निर्णीत | (₹1365 की राशि को दिनांक 01.06.2015 को सम्बन्धित निधि में जमा करवाने के उपरान्त) |
| 8 | पैरा 9 | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा 10 | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा 11 | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा 12 | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा 13 (क) | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा 13 (ख) | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा 14 | निर्णीत | (₹625 की राशि को दिनांक 01.06.2015 को सम्बन्धित निधि में जमा करवाने के उपरान्त) |
| 15 | पैरा 15 | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा 16 | निर्णीत | (₹3890 की राशि को दिनाँक 03.06.2015 को Union Fund, Chemistry Fund से University Fund में हस्तांतरित करने के उपरान्त) |
| 17 | पैरा 17 | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 14 में) |
| 18 | पैरा 18 | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा 19 | अनिर्णीत | |
| 20 | पैरा 20 | अनिर्णीत | |
| 21 | पैरा 21 | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या में) |
| 22 | पैरा 22 | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 15 (क) में) |

**अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित प्राचार्य, आहरण एंव संवितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत्त थे :–**

| क्रम संख्या | प्राचार्य, आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम | कार्यकाल (अवधि) |
|---|---|---|
| 1 | Dr. S.B. Negi | 04.06.2008 to 30.07.2012 |
| 2 | Sh. S.K. Pathak | 16.08.2012 to 22.09.2012 |
| 3 | Smt. Diksha Malhotra | 24.09.2012 to 14.01.2013 |
| 4 | Dr. Ashok Verma | 05.01.2013 to 16.04.2013 |
| 5 | Dr. D.K. Bhardwaj | 17.04.2013 to 16.06.2014 |
| 6 | Sh. Janak Negi | 17.06.2014 to 31.03.2015 |

## भाग–दो

## 2 वर्तमान लेखा परीक्षाः–

श्री टी0एस0 नेगी राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ, जिला किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं अवधि 04/2011 से 03/2015 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री अनिल शर्मा और श्री रविन्दर सिंह अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.06.2015 से 19.06.2015 तक रिकांगपिओ, जिला किन्नौर में किया गया। आय और व्यय के लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्न मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया।

| वर्ष | आय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मास | व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मास |
|---|---|---|
| 2011–12 | 06/2011 | 10/2011 |
| 2012–13 | 11/2012 | 12/2012 |
| 2013–14 | 12/2013 | 12/2013 |
| 2014–15 | 12/2014 | 06/2014 |

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं

अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

## 3 लेखा परीक्षा शुल्क :—

श्री टी0एस नेगी राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ, जिला किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं अवधि 04/2011 से 03/2015 तक का अंकेक्षण करने का शुल्क राशि ₹32000/— बनता है। अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 40/2015 दिनाँक 19.06.15 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैक के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

## 4 वित्तीय स्थिति :—

**(क)** श्री टी0एस नेगी राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ, जिला किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) लेखा अवधि 04/2011 से 03/2015 की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका निधिवार विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

| **Shri T.S. Negi Govt. Degree College, Reckongpeo, Distt Kinnour H.P. Financial Position** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Year** | **Opening Balance** | **Receipts** | **Interest** | **Total** | **Expenditure** | **Closing Balance** |
| 2011-12 | 1430533 | 472758 | 58810 | 1962101 | 418169 | 1543932 |
| 2012-13 | 1543932 | 412395 | 66484 | 2022811 | 363040 | 1659771 |
| 2013-14 | 1659771 | 569438 | 71031 | 2300240 | 516209 | 1784031 |
| 2014-15 | 1784031 | 1249322 | 83426 | 3116779 | 710523 | 2406256 |

**(ख)** प्रधानाचार्य महोदय ने अंकेक्षण को पत्र संख्या ई0डी0एस0के0आर (सी) 28197 दिनांक 03.06.2015 को सूचित किया कि Zoology Fund की रोकड़ बही में दिनाँक 31.3.2011 को अन्तिम शेष ₹34930/— लेखाकिंत था जबकि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 में वर्णित सम्बन्धित निधि की वित्तीय स्थिति में अन्तिम शेष ₹34331/— दर्शाया गया था, सम्बन्धित पत्र **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न किया गया है जिसे अंकेक्षण में जाँच करने पर सही पाया गया। इस प्रकार वर्तमान में इस निधि का दिनाँक 01.04.2011 को आरम्भिक शेष ₹34930/— लिया गया है।

(ग) प्रधानाचार्य महोदय ने अंकेक्षण को सूचित किया कि वर्तमान समय तक विद्यालय के विद्यार्थियों से एकत्रित खेलकूद निधि (Sports Fund) की राशि का लेखांकन यूनियन निधि/मिश्रित निधि की रोकड़ बही में संयुक्त रूप से किया गया था। अतः खेलकूद निधि (Sports Fund) की राशि का लेखांकन खेलकूद निधि की रोकड़ बही में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्रवाई को आगामी अंकेक्षण के दौरान दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**5 निवेशः—**

श्री टी0एस नेगी राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ, जिला किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) के प्रधानाचार्य महोदय ने अंकेक्षण को सूचित किया कि लेखा अवधि 04/2011 से 03/2015 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा योजना में निवेश नहीं किया गया था। अतः दिन प्रतिदिन की वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर छात्र निधि में एकत्रित राशि का उचित वित्तीय प्रबन्धन किया जाए तथा शेष राशि को सावधि जमा योजना में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**6 विश्वविद्यालय निधि में दिनांक 31.3.15 तक अन्तिम शेष ₹294682 बारेः—**

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला द्वारा समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार महाविद्यालय द्वारा पंजीकरण शुल्क/स्थानांतरण शुल्क, खेलकूद फीस, युवा कल्याण शुल्क, विश्वविद्यालय अवकाश गृह शुल्क व परीक्षा शुल्क छात्रो से वसूल की गई थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा केवल उन्हीं छात्रों से प्राप्त शुल्कों का भुगतान विश्वविद्यालय को किया गया था जिन विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए फार्म भरे गए थे तथा शेष विद्यार्थियों जिन्होने परीक्षा में बैठने के लिए फार्म नहीं भरे थे, से प्राप्त शुल्क का विश्वविद्यालय को भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार वर्ष दर वर्ष विश्वविद्यालय के पक्ष में प्राप्त शुल्क संचय होकर दिनांक 31.3.2015 तक महाविद्यालय के खाते में निम्न राशि जमा थीः—

| क्र0सं0 | विश्वविद्यालय के पक्ष में प्राप्त शुल्क का नाम | राशि (₹) |
|---|---|---|
| 1 | विश्वविद्यालय निधि | 294682 |
| | **कुल** | **294682** |

अतः उपरोक्त ₹294682 की राशि को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को अग्रेषित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और भविष्य में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के पक्ष में प्राप्त शुल्क का विश्वविद्यालय को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

## 7 पुस्तकालय प्रतिभूति निधिः–

पुस्तकालय प्रतिभूति निधि की जाँच करने पर पाया गया कि निधि में दिनाँक 31.03.2015 को ₹142738 की राशि जमा थी। परन्तु कालेज प्रशासन द्वारा पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर तैयार न किये जाने के परिणामस्वरूप यह मालूम नहीं किया जा सका कि उक्त निधि में जमा राशि किन–किन छात्रों द्वारा जमा करवाई गई थी या वर्षवार जमा राशि की क्या स्थिति थी? पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर तैयार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या ईडीएन–एच (8)बी(4)28/09–बजट–लिव दिनांक 26.03.2009 के अनुसार छात्रों/छात्राओं द्वारा कालेज छोड़ने के दो वर्षों के भीतर पुस्तकालय प्रतिभूति की राशि वापिस लेने हेतु आवेदन न करने की अवस्था में पुस्तकालय प्रतिभूति की राशि जब्त करने का प्रावधान है। जब्त राशि का प्रयोग कालेज पुस्तकालय के विकास के लिए किया जाना अपेक्षित था परन्तु पुस्तकालय प्रतिभूति निधि का रजिस्टर तैयार न किये जाने के कारण यह जाँच नहीं की जा सकी कि किस–किस छात्र की पुस्तकालय प्रतिभूति जब्त की जानी थी। अतः पुस्तकालय प्रतिभूति निधि का रजिस्टर तैयार न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व गत वर्षों का पुस्तकालय प्रतिभूति निधि रजिस्टर तुरन्त प्रभाव से तैयार किया जाने के साथ–2 पुस्तकालय प्रतिभूति की जब्त राशि को उपरोक्त पत्र में दिये निर्देशों अनुसार उपयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया जाए कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

## 8 महाविद्यालय के विद्यार्थियों से विभिन्न निधियों के रूप में ₹23678 की राशि की अनाधिकृत वसूलीः–

महाविद्यालय के विद्यार्थियो ंसे प्राप्त विभिन्न निधियों की पड़ताल करने पर पाया गया कि विद्यार्थियों से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित निधियों के अतिरिक्त अन्य निधियों के अन्तर्गत राशि की अनाधिकृत वसूली की गई थी। ऐसी सभी निधियों का विवरण निम्न दिया गया है। इस प्रकार अवधि 4/2011 से 3/2015 तक कुल 23678 की राशि

महाविद्यालय के विद्यार्थियों से वसूली गई थी। अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित छात्र निधियों के अतिरिक्त अन्य अनाधिकृत निधियों के अन्तर्गत विद्यार्थियों से वसूली गई कुल 23678 की राशि को न्यायोचित ठहराया जाए। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के विद्यार्थियों से अनाधिकृत निधि शीर्षकों के अन्तर्गत वसूली को तुरन्त प्रभाव से रोका जाना सुनिश्चित किया जाए।

**Detail of unauthorized collection fund from students**

| | Year | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name of Fund | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | Total |
| Social Club Fund | 1680 | 1330 | 1640 | 2335 | 6985 |
| SCA Fund | 4260 | 2660 | 3640 | 4730 | 15290 |
| Student National Welfare Fund | 336 | 266 | 329 | 472 | 1403 |
| **Total** | **6276** | **4256** | **5609** | **7537** | **23678** |

## 9 विद्यार्थियों से Math Practical के रूप में ₹14940 की राशि की कम वसूली बारे

विद्यार्थियों से विभिन्न निधियों के अन्तर्गत एकत्रित आय की जाँच करने पर पाया गया कि Math Practical के रूप में ₹14940 की राशि की कम वसूली की गई थी। कम वसूली गई राशि का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों से कम दरो ंपर निधियों की वसूली या वसूली न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः कम वसूली की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में विद्यार्थियो ंसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही शुल्कों की वसूली सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**Detail of less Receipt of Math Practical Fee from students**

| **Year** | **No. of Student having Math Subject** | **Rate of Math Practical per month** | **Total Amount per Year** |
|---|---|---|---|
| 2011-12 | 12 | 15 | 2160 |
| 2012-13 | 13 | 15 | 2340 |
| 2013-14 | 17 | 15 | 3060 |
| 2014-15 | 41 | 15 | 7380 |
| | | **Total** | **14940** |

**10 विभिन्न निधियों में राशि ₹1020/– को रोकड़ बही में दर्ज व सम्बन्धित बैंक खाते में जमा न करने बारेः–**

विभिन्न निधियों के अन्तर्गत एकत्रित आय और सम्बन्धित बैंक खातों में विभिन्न कार्य दिवसों को जमा करवाई गई राशियों का आपस में मिलान करने पर पाया गया कि वर्ष 2013–14 के दौरान विद्यार्थियों से एकत्रित राशियों में से ₹1020 की राशि को दिनांक 31.03.2015 तक सम्बन्धित बैंक खाते में जमा नहीं करवाया गया था तथा इस राशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में भी नहीं की गई थी। एकत्रित राशि का विवरण निम्न दिया गया है। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति दर्ज करने के उपरान्त दिनाँक 01.06.2015 को राशि ₹1020 को रोकड़ बही में दर्ज करने के पश्चात सम्बन्धित बैंक खाते में जमा करवाया गया था। वर्ष 2013–14 दौरान प्राप्त राशि को दिनांक 31.03.2015 तक रोकड़ बही में इन्द्राज न करना तथा सम्बन्धित बैंक खाते में जमा न करवाया जाना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। भविष्य में प्राप्त सभी राशियों को अगले कार्यदिवस के दौरान सम्बन्धित बैंक खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही रोकड़ बही में प्रविष्टि/इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**Detail of Fee collected from students but not deposited in related Bank Accounts till 31.03.2015**

| Receipt No./Date | Name of student | Class | Amount Collected |
|---|---|---|---|
| 430820/17.12.13 | Sh. Ashok Kumar | BA II | 930 |
| 430665/10.12.13 | Sh. Joginder | BA I | 90 |
| | | **Total** | **1020** |

**11 मिश्रित निधिः–**

**(i) ₹618322 की राशि का मिश्रित निधि की रोकड़ बही में अनियमित रूप से आय एवं व्यय लेखांकन किये जाने बारेः–**

मिश्रित निधि की रोकड़ बही की पड़ताल करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में राशि ₹618322.00 के आय व्यय का अनियमित रूप से लेखांकन किया गया था। ₹618322/– के आय व्यय का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर संलग्न किया गया है। उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर यह भी पाया गया कि यह आय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला द्वारा वार्षिक परीक्षा मानदेय के सम्बन्ध में महाविद्यालय प्रशासन को भेजी गई थी, और व्यय विभिन्न

परीक्षा निरीक्षकों को इस राशि में से किए गए मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में था। यह आय व्यय किसी भी रूप से मिश्रित निधि से सम्बन्धित नहीं था। अतः हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से प्राप्त राशि और सम्बन्धित व्यय जो किसी भी रूप में मिश्रित निधि से सम्बन्धित नहीं था को निधि की रोकड़ बही में लेखांकन करने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही अंकेक्षण की ओर से यह सुझाव दिया जाता है कि निधि की रोकड़ बही में केवल निधि से सम्बन्धित आय व्यय का ही लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

### (ii) आहरण एवं संवितरण अधिकारी की स्वीकृति के बिना राशि ₹9106/– का भुगतान करनाः–

व्यय वाउचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न व्यय वाउचरों को भुगतान करने से पूर्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था। व्यय वाउचरों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत न किया जाना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः ₹9106/– की राशि के व्यय वाउचरों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन व्यय वाऊचरों को वर्तमान में स्वीकृत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

| **Detail of Bill/Voucher not verified by the Principle/Drawing and Disbursing Officer** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Name of Fund** | **Voucher No./Date** | **Amount** | **To whom Paid** | **Purpose of payment** |
| Amalgamated Fund | Nil/14.10.11 | 650 | M/S Sunil Book Depot Reckongpeo, Bill No. 5446 Dt. 14.10.11 | Purchase of Cricket Ball |
| | Nil/31.10.11 | 5496 | Sh. Hira Singh, Shayam Singh, Raju, Basant Singh | Bus Fare & Daily Allowance for youth Festival at GDC Ghumarwin |
| | Nil/06.12.12 | 800 | M/S Talwar | Purchase of 80 KG |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | General Store Reckongpeo, Bill No. 325 Dt. 06.12.12 | Lime |
| | Nil/06.12.12 | 2160 | M/S Friends Agency Totu, Shimla, Bill No. 489 dt. 06.12.12 | Purchase of Medal for Annual Sunction |
| | **Total** | **9106** | | |

**(iii) ₹5496/– की राशि का अनियमित भुगतानः–**

**वाउचर संख्या शून्य दिनाँक 31.10.11 राशि ₹5496**

राशि ₹5496 का भुगतान निम्न कर्मचारियो ंको GDC Ghumarwin में अवधि 03.11.2011 से 05.11.2011 तक Yourth Festival Programme में भाग लेने हेतु यात्रा भत्ते दावे के लिए किए गया था। भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि किराए के सम्बन्ध में बस की टिकटें संलग्न नहीं थी जिससे अंकेक्षण में बस किराए की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी, साथ सभी कर्मचारियों को ₹200/– प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते का भुगतान किया गया था जबकि नियमों में इस दर से दैनिक भत्ते के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था। अतः नियमों के विपरीत दैनिक भत्ते के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान किए गए दैनिक भत्ते की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए, साथ ही बस किराए के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक छानबीन की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

**कर्मचारियों को किए गए यात्रा भत्ते के भुगतान का विवरण**

| **Vr. No./Date** | **Bus Fare** | **Daily Allowance @ 200 per day** | **Paid to** | **Purpose of Journey** |
|---|---|---|---|---|
| Nil/31.10.11 | 774 | 600 | Sh. Hira Singh | |
| | 774 | 600 | Sh. Shyam Singh | |
| | 774 | 600 | Sh. Raju | For Youth Festival Programme at Govt. Degree College Ghumarwin w.e.f 03.11.11 to 05.11.11 |
| | 774 | 600 | Sh. Basant Singh | |
| **Total** | **3096** | **2400** | | |

## (iv) औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना मिश्रित निधि से ₹9070 की राशि का अनियमित भुगतानः—

**वाउचर संख्या शून्य दिनांक 14.10.11 राशि ₹9070**

निधि से किए गए व्ययों के सम्बन्ध में अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹9070 की राशि का भुगतान मैं0 नीगुम प्रिंटर प्रैस रिकांगपिओ को उनके बिल संख्या 1341 दिनाँक 13.10.2011 हेतु National Assessment and AF Accreation Mission Council (NAAC) की रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए किया गया था। इस भुगतान की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि इस भुगतान को करने से पूर्व किसी भी प्रकार की कोई निविदा इत्यादि खुले बाजार से आमन्त्रित नहीं की गई थी, जिससे बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया। साथ ही इस भुगतान को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमाला के प्रथम अध्यादेश 1973 (As amended from time to time) खण्ड–2 के अध्याय XLII में वर्णित उद्देश्य के सन्दर्भ में न्यायोचित ठहराया जाए। भविष्य मे निधि का उपयोग उक्त अध्याय में वर्णित उद्देश्यों हेतु करने से पूर्व बाजार से निविदा इत्यादि आमन्त्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

## (vi) मिश्रित निधि से ₹28090/– की राशि का अनियमित भुगतानः—

**वाउचर संख्या शून्य दिनाँक 03.12.2014 राशि ₹28090/–**

निधि से किए गए व्ययों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹28090/– की राशि का भुगतान National Assessment and Accretion mission Council (NAAC) को उनके पत्र संख्या NAAC/NR/BSP/Gen. dated 21.11.14 के सम्बन्ध में बैंक ड्राफ्ट संख्या 620571 दिनाँक 04.12.2014 से किया गया था। इस भुगतान की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि यह भुगतान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के प्रथम अध्यादेश 1973 (As amended from time to time) खण्ड–2 के अध्याय XLII में वर्णित उद्देश्य से भिन्न उद्देश्य हेतु किया गया था जिसे न्यायोचित ठहराया जाए। भविष्य में निधि का उपयोग अध्याय XLII में वर्णित उद्देश्यों हेतु ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

**(vii) मिश्रित निधि से खरीदी गई विभिन्न मदों की स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि न करने बारेः–**

मिश्रित निधि से सम्बन्धित विभिन्न व्ययों की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि निधि से खरीदी गई विभिन्न मदों की स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी। ऐसे सभी सामान का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। खरीदे गए सामान की सम्बन्धित स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इसके अतिरिक्त जाँच करने पर यह भी पाया गया कि आवश्यकता से अधिक सामान का क्रय किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यकता से अधिक सामान क्रय करने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही उचित छानबीन के उपरान्त स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि न किए सामान की प्रविष्टि वर्तमान में की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

| Name of Fund | Vr. No./Date | Amount | To whom paid | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Amalgamated Fund | Nil/22.02.13 | 23074 | Paid to wear & Win Agency Sector-17C Chandigarh through Sh. H.C. Negi, Professor for Purchase of 136 Memtos of different size bill No. 6464 Dt. 26.02.13 for Annual Prize Distribution Function on dated 09.03.13 | अभिलेख के साथ संलग्न सूची के अनुसार Annual Prize Distribution Function में केवल 77 Memtos विभिन्न विद्यार्थियों को बांटे गए थे जबकि खरीदे गए Memtos की संख्या 136 थी। इस प्रकार 59 Memtos आवश्यकता से अधिक खरीदे गए थे। इसके अतिरिक्त खरीदे गए Memtos की कोई स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई थी। |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Absence Fine Fund | Nil/ 20.03.14 & 27.03.14 | 25695 | Paid to M/S Shivilak Book Centre Sector-17 D Chandigarh Through Sh. Durg Lecturer for purchase of 149 Books of different Authors, Bill No. SBC/Dt. 25.02.14 | अभिलेख के साथ संलग्न सूची के अनुसार केवल 72 Books विभिन्न विद्यार्थियों को वितरित की गई थी Books की संख्या 149 थी। इस प्रकार 77 Books आवश्यकता से अधिक खरीदी गई थी। इसके अतिरिक्त खरीदी गई Books की कोई स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई थी |
| Amalgamated Fund | Nil/22.02.14 | 45000 | Paid to wear & Win Agency Sector-17C Chandigarh Through Sh. Durg Lecturer, for purchase of 59 Memtos of different size Bill no. 7103 Dt. 25.02.14 for 32388 balance of ₹12612 was deposited in the fund vide receipt No. 0573108 Dt. 29.02.14 | अभिलेख के साथ पात्र विद्यार्थियों की सूची संलग्न नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त खरीदे गए Memtos की कोई स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई थी। |

12 **गृह परीक्षा निधिः–**

**₹26120 की राशि का अनाधिकृत व्ययः–**

गृह परीक्षा निधि से किए गए व्ययों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में ₹26120/– की राशि का भुगतान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पक्ष में दर्शाया गया था। जबकि नियमों के अनुसार गृह परीक्षा निधि का उपयोग गृह परीक्षा से सम्बन्धित व्ययों हेतु ही किया जा सकता था। इस प्रकार ₹26120/– की राशि का भुगतान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पक्ष में दर्शाया जाना किसी भी रूप में गृह परीक्षा से सम्बन्धित नहीं था। नियमों के अनुसार इस राशि को University Fund से भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः ₹26120/– की राशि के भुगतान को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पक्ष में दर्शाया जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही ₹26120/– की राशि को University Fund से गृह परीक्षा निधि में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीध्र अति शीघ्र सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

| **Voucher No./Date** | **Cash Book Page No.** | **Amount** | **To whom paid** |
|---|---|---|---|
| Nil/09.12.11 | 51 | 16650 | Controller of Examination, H.P. University Shimla |
| Nil/09.12.11 | 51 | 9470 | Controller of Examination, H.P. University Shimla |
| | **Total** | **26150** | |

13 **₹7000/– की राशि के अग्रिम को समायोजित न किए जाने बारेः–**

अग्रिम से सम्बन्धिज अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि छात्र निधि में से खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दिनाँक 20.09.2013 को अग्रिम प्रदान किया गया था। (विवरण निम्न दिया गया है) परन्तु आज दिन तक इस राशि को न तो समायोजित दर्शाया गया था और न ही इस राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की गई थी। अग्रिम राशि का लम्बी अवधि तक समायोजन न किया जाना अनियमित ही नहीं अपितु छात्र निधि का दुरूपयोग भी हैं लम्बी अवधि तक अग्रिम राशि का समायोजन न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही अग्रिम राशि के समायोजन हेतु विशेष प्रयास किए जाएं। अन्यथा अग्रिम राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज सहित वसूल की जानी

सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीध्र अतिशीघ्र सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

| Voucher No./Date | Cash Book Page no. | Amount | To whom Paid | Purpose of payment |
|---|---|---|---|---|
| Nil/20.09.13 | 145 | 7000 | Sh. Tanzin Negi | For Boxing Championship at Rampur |
| **Total** | | **7000** | | |

**14 रैड क्रास निधिः–**

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या ई0डी0एन0 एच0(8) 3 (7) 1/76–6 दिनाँक 28.07.1994 द्वारा विद्यार्थियों से रैड क्रास निधि की वसूली बंद कर दी गई थी। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा इस निधि की वसूली अवधि 04/2011 से 03/2015 तक नहीं की गई थी। दिनाँक 31.03.2015 को इस निधि का अन्तिम शेष ₹13482.00 था। इस राशि को मिश्रित निधि में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय प्रशासन को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी सुझाव दिया गया था परन्तु वर्तमान समय तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः रैड क्रास निधि के अन्तिम शेष को अर्जित ब्याज की राशि सहित मिश्रित निधि में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**15 (क) निधियों के स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जानाः–**

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निधियों से क्रय किए गए सामान के स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया था तथा स्टॉक रजिस्टर के एक ही पृष्ठ पर कई प्रकार के सामान की स्टॉक प्रविष्टि की गई थी जोकि अनियमित है। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी अंकेक्षण आपत्ति लेखाकिंत की गई थी परन्तु वर्तमान समय तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अतः विभिन्न निधियों से क्रय किए गए सामान को निधि अनुसार स्टॉक रजिस्टर में

मदवार अलग–2 पृष्ठ पर लेखाकिंत किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे प्रत्येक मद की वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके।

### (ख) विभिन्न निधियों के स्टॉक रजिस्टर में लेखाकिंत सामान का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–

नियमानुसार प्रत्येक संस्थाध्यक्ष द्वारा विभिन्न निधियों के स्टॉक रजिस्टरों में लेखाकित सामान का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन करना अनिवार्य हैं। विभिन्न निधियों के स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल में पाया गया कि वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक किसी भी वर्ष के लिए संस्थाध्यक्ष द्वारा स्टॉक रजिस्टर में लेखाकिंत सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। अतः स्टॉक रजिस्टर में लेखाकिंत सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही भविष्य में स्टॉक रजिस्टर में लेखाकिंत सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

### 16 रसीद बुकेंः–

छात्रों से विभिन्न निधियों को प्राप्त करने हेतु समय समय पर रसीद बुकें छपवाई गई थी जिसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। जाँच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा रसीद बुकों से सम्बन्धित कोई स्टॉक रजिस्टर नहीं लगाया गया था। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी अंकेक्षण आपत्ति लेखाकिंत की गई थी परन्तु वर्तमान समय तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अतः रसीद बुकों की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में रसीद बुकों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करके उपयोगानुसार जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए साथ ही खाली (Blank) रखी गई रसीदों को संस्था के मुखिया द्वारा रद्द (Cancel) किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

17 **लघु आपति विवरणिका :—** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है लघु आपत्तियो ंका निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

18 **निष्कर्ष :—** लेखों में सुधार की आवश्यकता के अतिरिक्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0)सी(15)11(9)39/05—5845—5847 दिनांकः06.10.2015,

शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

1 निदेशक, शिक्षा, (उच्चत्तर शिक्षा) हि0प्र0 शिमला—171001.

2 उप निदेशक शिक्षा, (उच्चत्तर शिक्षा) विभाग रिकांगपिओ, जिला किन्नौर हि0प्र0।

**पंजीकृत** 3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रिकांगपीओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.